# इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 76 / प्र0अ0 भवन / जोन–1 / 2013–14 दिनांक 30 / 11 / 2013

## अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका यह न समझना चाहिये कि इस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रमाण न रखेगी।

श्री राकेश कुमार जायसवाल पुत्र श्री लक्ष्मन लाल जायसवाल द्वारा पार्ट आफ नजूल की होल्ड भूखण्ड संख्या–18ए उपविभाजित भूखण्ड संख्या–18ए/1 एवं 18/6 जार्ज टाउन इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत आवासीय भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित प्लान पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही अध्यासन/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के उपविधि संख्या–2.1.5 एवं 3.1.5 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. <u>यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।</u>
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 04 जगह वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करके भू–गर्भ जल बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
6. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना किया जाना आवश्यक होगा।
7. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण कर उक्त का संयोजन Existing सर्विसेज से करना होगा।
8. स्थल का अधिभोग/उपयोग एकल आवासीय प्रयोजन हेतु ही होगा, व्यावसायिक भवन का उपविभाजन/तलों का विक्रय निषिद्ध होगा।
9. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा लम्बित होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
10. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
11. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
12. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाले के किसी भाग (जो मकान के बाहर भाग, पृथ भाग अथवा उसके आकार के कारण दब गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को संतोष हो जाय, में कर देंगे।
13. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
14. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आर्किटेक्ट का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
15. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होना पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनाधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

प्रभारी अधिकारी (भ0अ0– )
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

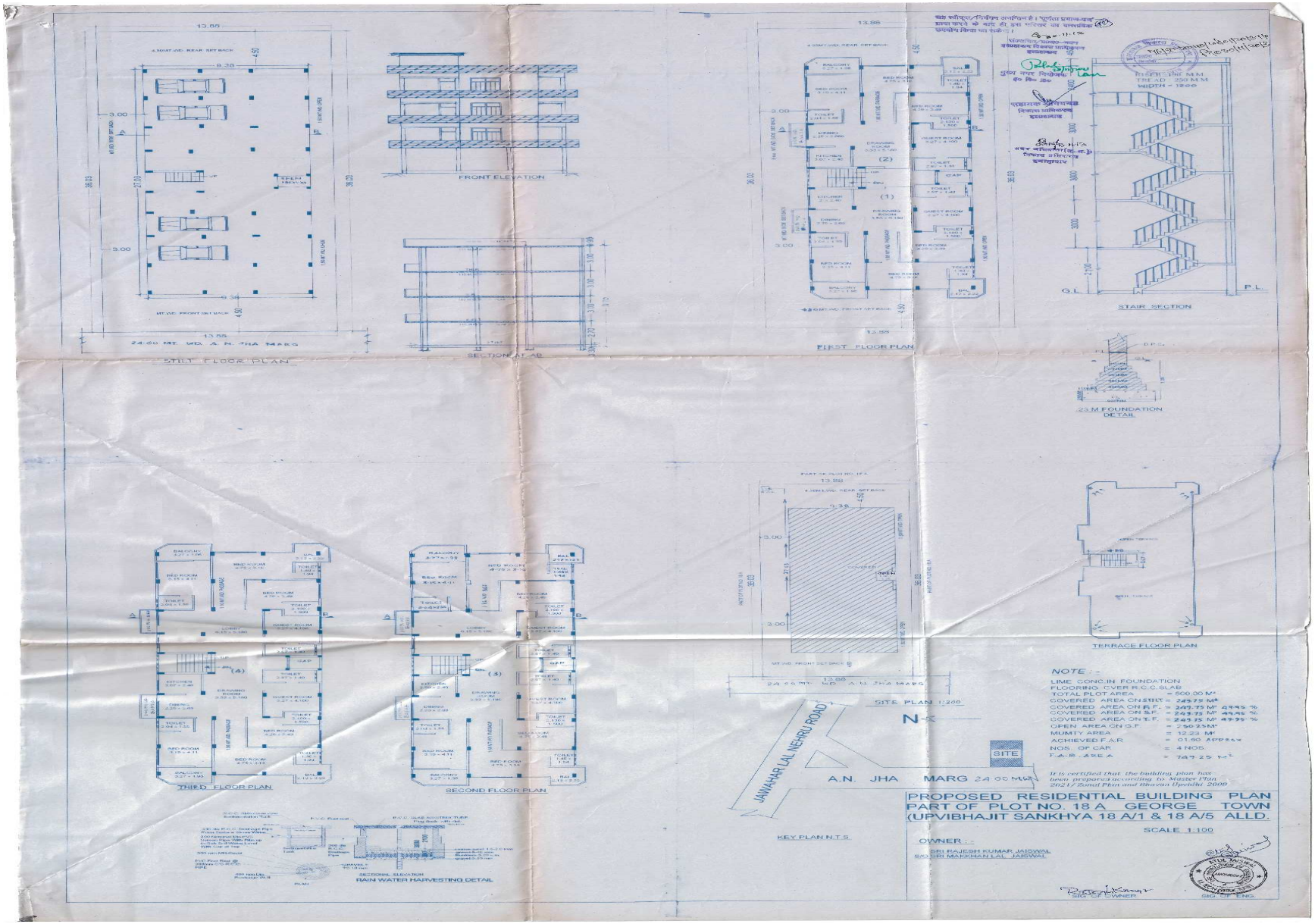

STILT FLOOR PLAN
24.00 MT. WD. A. N. JHA MARG
FRONT ELEVATION
SECTION AT AB
FIRST FLOOR PLAN
STAIR SECTION
RISER - 150 M.M
TREAD - 250 M.M
WIDTH - 1200
G.L.
P.L.
.23 M FOUNDATION DETAIL
TERRACE FLOOR PLAN
SITE PLAN 1:200
THIRD FLOOR PLAN
SECOND FLOOR PLAN
RAIN WATER HARVESTING DETAIL
JAWAHAR LAL NEHRU ROAD
A.N. JHA MARG 24.00 M.W.
SITE
N
KEY PLAN N.T.S.
NOTE : -
LIME CONC.IN FOUNDATION
FLOORING CVER R.C.C.SLAB
TOTAL PLOT AREA = 500.00 M²
COVERED AREA ON STILT = 249.75 M²
COVERED AREA ON F.F. = 249.75 M² 49.95 %
COVERED AREA ON S.F. = 249.75 M² 49.95 %
COVERED AREA ON T.F. = 249.75 M² 49.95 %
OPEN AREA ON G.F. = 250.25 M²
MUMTY AREA = 12.23 M²
ACHIEVED F.A.R = 01.50 APPROX
NOS. OF CAR = 4 NOS
F.A.R. AREA = 749.25 M²
It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021/ Zonal Plan and Bhavan Upvidhi 2008
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN
PART OF PLOT NO. 18 A GEORGE TOWN
(UPVIBHAJIT SANKHYA 18 A/1 & 18 A/5 ALLD.
SCALE 1:100
OWNER : -
SRI RAJESH KUMAR JAISWAL
S/O SRI MAKKHAN LAL JAISWAL
SIG. OF OWNER
SIG. OF ENG.